भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 948

08 फरवरी, 2023 के लिए प्रश्न

एफसीआई की भंडारण क्षमता

948. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में एफसीआई की भंडारण क्षमता में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफसीआई निजी गोदामों में किराए के आधार पर भी खाद्यान्न का भंडारण करता है और यदि हां, तो उस पर कितना वार्षिक व्यय होता है;

(घ) क्या सरकार ने एफसीआई द्वारा बर्बाद किए जा रहे खाद्यान्नों के लिए कोई जिम्मेदारी तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) उक्त मुद्दे पर अब तक की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले पांच वर्षों के दौरान एफसीआई द्वारा किराए पर लिए गए गोदामों और एफसीआई के गोदामों में कितना खाद्यान्न बर्बाद हुआ है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास उपलब्ध कुल कवर्ड भंडारण क्षमता (स्वयं और किराये की) 348.13 लाख टन है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

.....2/-

(ख): भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का लगातार आकलन और निगरानी करता है तथा निम्नलिखित योजनाओं के जरिए भंडारण अंतर (स्टोरेज गैप) के आकलन के आधार पर, भंडारण क्षमताओं को सृजित/किराए पर लिया जाता है:-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलोज़ का निर्माण।
2. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना।
3. केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस)।
4. केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी वेयरहाउसिंग योजना (पीडब्ल्यूएस) ।

भारतीय खाद्य निगम की पीईजी योजना के तहत, मध्य प्रदेश में 0.14 लाख टन की क्षमता वाले 01 गोदाम का निर्माण किया गया है, जबकि इसी योजना के तहत, झारखंड में 1.13 लाख टन क्षमता वाले 11 गोदामों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, झारखंड के मामले में, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत एफसीआई द्वारा 0.30200 लाख टन क्षमता के 3 गोदामों का निर्माण किया जा रहा है।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) वाले राज्य हैं। राज्य सरकार द्वारा अपनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण किया जाता है। यदि खरीद कम होती है, तब भारतीय खाद्य निगम की भूमिका होती है जिसमें स्टॉक को शामिल अथवा अधिक खरीद के जरिए कम खपत वाले राज्यों को अधिशेष स्टॉक संचालित किया जाता है। झारखंड एक गैर-डीसीपी राज्य है।

दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ, 90.71 लाख टन के भंडारित खाद्यान्नों के कुल स्टॉक (मध्य प्रदेश: 81.31 लाख टन, महाराष्ट्र: 8.16 लाख टन और झारखंड: 1.24 लाख टन) की तुलना में गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 220.33 लाख टन अर्थात् मध्य प्रदेश (195.28 लाख टन), महाराष्ट्र (19.48 लाख टन) और झारखंड (5.57 लाख टन) है ।

(ग): जी हाँ।

.....3/-

निजी पार्टियों से किराए पर लिए गए भांडागारों में वहन की गई भंडारण लागत का वित्त वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

लाख रुपए में

2021-22	2020-21
37202.68	27319.79

(घ) और (ड.): एफसीआई खाद्यान्नों की क्षति के लिए जिम्मेदार पाए गए कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई द्वारा जवाबदेही तय करता है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस संबंध में की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	2017- 18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिसंबर तक)
राजस्थान	1	0	0	0	0	2
उत्तर प्रदेश	1	0	2	4	0	0
असम	13	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	1	0	0	0	0	0
पंजाब	0	2	2	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	4	0	0	0	0
महाराष्ट्र	0	1	0	0	0	0
कुल	16	7	4	4	0	2

(च): पिछले पाँच वर्षों के दौरान एफसीआई के गोदामों में जारी न करने योग्य उपार्जित खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान किराए पर लिए गए गोदामों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष (01 जनवरी की स्थिति के अनुसार)	किराए पर लिए गए गोदामों की संख्या
2019	1453
2020	1515
2021	1506
2022	1637
2023	1299

******

(अनुबंध- I)

लोक सभा में दिनांक 08.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 948 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

01.01.2023 को एफसीआई की केंद्रीय पूल भंडारण क्षमता

(आकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	राज्य			कुल (स्वामित्व + किराए के लिए)
			स्वामित्व	किराए के	
पूर्व	1	बिहार	4.07	6.26	10.33
	2	झारखंड	0.79	3.33	4.12
	3	ओडिशा	3.65	1.70	5.35
	4	पश्चिम बंगाल	9.53	0.63	10.16
	5	सिक्किम	0.11	0.01	0.11
कुल पूर्व अंचल			18.15	11.93	30.08
पूर्वोत्तर	6	असम	3.74	1.71	5.45
	7	अरुणाचल प्रदेश	0.40	0.02	0.42
	8	मेघालय	0.17	0.09	0.27
	9	मिज़ोरम	0.32	0.00	0.32
	10	त्रिपुरा	0.40	0.08	0.48
	11	मणिपुर	0.59	0.00	0.59
	12	नागालैंड	0.42	0.16	0.57
कुल पूर्वोत्तर अंचल			6.04	2.06	8.09
उत्तर	13	दिल्ली	3.27	0.00	3.27
	14	हरियाणा	8.75	40.39	49.14
	15	हिमाचल प्रदेश	0.26	0.64	0.90
	16	जम्मू और कश्मीर	0.95	1.13	2.07
	17	लद्दाख	0.25	0.07	0.31
	18	पंजाब	27.17	77.31	104.48
	19	चंडीगढ़	0.00	0.07	0.07
	20	राजस्थान	8.39	2.56	10.95
	21	उत्तर प्रदेश	15.68	28.00	43.68
	22	उत्तराखंड	0.73	1.16	1.90
कुल उत्तर अंचल			65.45	151.32	216.77
दक्षिण	23	आंध्र प्रदेश	9.00	0.49	9.49
	24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.07	0.00	0.07
	25	तेलंगाना	6.68	5.53	12.21
	26	केरल	5.95	0.06	6.01
	27	कर्नाटक	4.60	4.10	8.70
	28	लक्षद्वीप	0.03	0.00	0.03
	29	तमिलनाडु	7.02	4.39	11.41
	30	पुडुचेरी	0.52	0.00	0.52
कुल दक्षिण अंचल			33.87	14.57	48.44
पश्चिम	31	गुजरात	4.93	2.93	7.86
	32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
	33	महाराष्ट्र	9.23	10.21	19.44
	34	गोवा	0.19	0.06	0.25
	35	मध्य प्रदेश	4.18	0.20	4.38
	36	छत्तीसगढ	6.32	6.51	12.83
कुल पश्चिम अंचल			24.85	19.90	44.75
सकल योग			148.35	199.78	348.13

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 08.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 948 के उत्तर के भाग (च) में उल्लिखित अनुबंध।

भारतीय खाद्य निगम में जारी न करने योग्य खाद्यान्नों का उपार्जन

वर्ष	जारी न करने योग्य उपार्जित खाद्यान्न (टन में)	उठान की गई मात्रा (डीसीपी को छोड़कर) (आंकड़े लाख टन में)	उठान की गई मात्रा की तुलना में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का %
2017-18	2663	452.16	0.006
2018-19	5213	500.08	0.01
2019-20	1930	455.130	0.004
2020-21	1850	688.57	0.003
2021-22	1693	766.08	0.002

****